न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 40/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री रतन कुमार साहू पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू
एफबीओ मैसर्सः—राज मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट, गांधी सर्किल मण्डावर जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 24.04.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 23.12.2023 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स राज मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट, गांधी सर्किल मण्डावर जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रतन कुमार साहू पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू उपस्थित मिला, जिसने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता श्री रतन कुमार साहू पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय रेस्टोरेन्ट पर साफ स्टील की परात में लगभग 8 किलो खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 800 ग्राम दही लूज **(Dahi Loose)** खरीदा, जिसकी कीमत 96 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 800 ग्राम दही लूज **(Dahi Loose)** को हिलामिलाकर मैश कर चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मलिन की 16—16 बून्दे डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कोड एवं क्रमांक ए.जी.—4066 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूनो भागो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर **AG**—4066 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रैपर दोनो पर हस्ताक्षर आवे। चारो नमूना भागो पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाब्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद भाग व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.12.2023 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.12.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ [illegible] जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद भाग व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील [illegible] कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.12.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)** का नमूना खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./5361/एक्ट/2023/120 दिनांक 08.01.2024 के अनुसार नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्व न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./5361/एक्ट/2023/120 दिनांक 08.01.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)** के नमूने में **Milk fat** की मात्रा 1.70 प्रतिशत ही पाई गई है, जो कि तय मानको के अनुसार कम से कम 4.5 प्रतिशत होनी चाहिये थी। नमूने में **Milk fat** की मात्रा तय मानको से काफी कम पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)**(II)** का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)** के नमूने में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा विभिन्न पशुपालको से जो दूध खरीदा जाता है। उसका दही जमाकर ग्राहको को विक्रय किया जाता है। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने में मिल्क फैट की मात्रा खाद्य सुरक्षा अधिनियम में तय मानको से कम आने के कारण ही यह नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./5361/एक्ट/2023/120 दिनांक 08.01.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)**का नमूना अमानक **(SubStandard)** स्तर का पाया गया है। यह नमूना खाद्य सुरक्षा के निर्धारित मानको के अनुरूप नहीं होने के कारण धारा 26 की उप धारा **(II)** का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(SubStandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ दही लूज **(Dahi Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री रतन कुमार साहू पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू एफबीओ मैसर्सः—राज मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट, गांधी सर्किल मण्डावर जिला दौसा पर 50,000/— रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 24.04.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Non Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA/** दिनांकः— 24.04.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.04.30 11:45:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा।
3. श्री रतन कुमार साहू पुत्र श्री जगदीश प्रसाद साहू एफबीओ मैसर्सः—राज मिष्ठान भण्डार एण्ड रेस्टोरेन्ट, गांधी सर्किल मण्डावर जिला दौसा

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा